2019/00378

फर्द अहकाम
नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पदमपुर

परमजीत सिंह बनाम राजविन्द्र कौर उर्फ पीपी आदि

किस्म मुकदमा – 152 सीपीसी प्रकरण सं0..28..सन 2019

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
03/12/19	प्रार्थी परमजीत सिंह पुत्र हरिसिंह जाति जटसिख निवासी 2 बीबी की ओर से श्री नरेश जाखड़ अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि श्री मान न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2019 को निर्णय को हो चुका है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 राजविन्द्र कौर उर्फ पीपी के नाम भूमि 1.897 है0 लिखी गई जो कि दावे अनुसार थी, लेकिन प्रतिवादी सं0 1 राजविन्द्र कौर उर्फ पीपी द्वारा 1.075 है0 भूमि का बैचान किया जा चुका था और राजविन्द्र कौर उर्फ पीपी के नाम शेष भूमि 0.822 है0 नहरी/बारानी भूमि थी और शेष भूमि अनुसार ही वादीगण को भूमि दी जानी थी, इसलिए वादीगण अब निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2019 में संशोधन करवाना चाहता है,संशोधन अनुसार पदमपुर तहसील के चक 2 बीबी की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता सं0 55/75 के मुरबा नं0 37 में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 राजविन्द्र कौर उर्फ पीपी के नाम 0.822 है0 नहरी/बारानी समस्त भूमि का वादी सं0 1 परमजीत सिंह को खातेदार मालिक घोषित किया जावें व प्रतिवादी सं0 2 नवरीत कौर के नाम दर्ज 2.024 है0 में से 0.431 है0 नहरी/बारानी भूमि का वादी सं0 1 परमजीत सिंह को खातेदार मालिक घोषित किया जावें व प्रतिवादी सं0 2 नवरीत कौर के नाम दर्ज शेष भूमि में से 0.431 है0 नहरी/बारानी भूमि का वादी सं0 2 सज्जन सिंह को खातेदार मालिक घोषित किया जावें व प्रतिवादी सं0 3 रणदीप कौर उर्फ रानी के नाम दर्ज 1.240 है0 नहरी/बारानी भूमि में से 0.822 है0 नहरी/बारानी भूमि का वादी सं0 2 सज्जन सिंह को खातेदार मालिक घोषित होने का संशोधन किया जावें। अतःन्यायहित में तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वादी को प्राप्त भूमि में से निर्णय दिनांक 07.11.2019 के चक 2 बीबी की जमाबन्दी सं0 2071–74 के खाता सं0 55/75 के मुरबा नं0 37 में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 राजविन्द्र	

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2019.12.26 14:28:19 IST
Reason: SelfAttested